बिहार विधान सभा सचिवालय

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स के चयन हेतु निविदा सूचना

NIT NO - 03/2022

बिहार विधान सभा सचिवालय के कर्मियों के वेतन एवं आपूर्तिकर्त्ताओं के भुगतान पर प्राप्त स्त्रोत से की गई आयकर की कटौती का त्रैमासिक E-TDS रिर्टन तैयार एवं दाखिल करने का कार्य तथा आयकर संबंधी अन्य विविध कार्यों के निष्पादन हेतु इच्छुक निबंधित, योग्य अनुभवी चार्टर्ड एकांउटेंट्स फर्मों से दिनांक–22.04.2022 को 03:00 बजे अपराह्न तक यथा निर्धारित शर्तों के अधीन सीलबंद लिफाफें में न्यूनतम दर सहित सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक–26.04.2022को 03:00 बजे अपराह्न में संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तें एवं कार्य का विवरण बिहार विधान सभा के वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर द्रष्टव्य है।

11.04.22

(सुनील कुमार)
अवर सचिव सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
बिहार विधान सभा, पटना।

निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तें एवं कार्य का विवरण

(1) इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) से विगत तीन वर्ष से निबंधित होने का प्रमाण पत्र।

(2) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म का पूर्ण बायोडाटा।

(3) आयकर रिटर्न तैयार एवं दाखिल करने संबंधी कार्य का तीन वर्षों का अनुभव संबंधी प्रमाणक साक्ष्य के साथ।

(4) वित्तीय वर्ष 2020–21 के आयकर रिटर्न एवं जी.एस.टी. पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र की प्रति।

(5) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म के विरूद्ध कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन किसी सरकारी/अर्ध सरकारी विभाग/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान द्वारा नहीं दिये जाने का घोषणा पत्र।

(6) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म को आयकर विभाग द्वारा दिये गये निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य संपन्न करना अनिवार्य होगा।

(7) आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए त्रैमासिक Form no.- 16A ससमय उपलब्ध कराना होगा।

(8) वेतन भोगी कर्मियों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर TRACES से तैयार Form-16A & 16B ससमय उपलब्ध कराना होगा।

(9) आयकर विभाग से प्राप्त विभिन्न पत्रों का ससमय निराकरण करना आवश्यक होगा।

(10) आपूर्तिकर्त्ताओं एवं वेतनभोगी कर्मियों के आयकर से संबंधित कागजात आदि सभा सचिवालय से समन्वय स्थापित कर ससमय प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य सम्पादित करना एवं तत्सम्बन्धी साक्ष्य ससमय सभा सचिवालय को उपलब्ध कराना होगा।

(11) यह कार्य दो वित्तीय वर्षों यथा– वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के लिए अनुबंधित होगा।

11.04.22

(सुनील कुमार)
अवर सचिव सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
बिहार विधान सभा, पटना।